राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 240वीं बैठक दिनांक 17.01.2020 को प्रातः 10.30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1	श्री भास्कर ए. सावंत	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
3	श्री आर. के. विजयवर्गीय	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	सदस्य
4	श्रीमती संचिता बिश्नोई	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल-सचिव

शासन सचिव वित्त (बजट), श्री हेमन्त गेरा द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्नांकित अधिकारी भी उपस्थित रहे :-

1	श्रीमती रेखा भास्कर	वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी
2	श्री के.सी.मीणा	मुख्य अभियंता प्रथम, राज.आवासन मण्डल
3	श्री घनश्याम बाघेला	मुख्य अभियंता द्वितीय, राज.आवासन मण्डल
4	श्री एस. के. सिंघल	मुख्य अभियंता, मुख्यालय राज.आवासन मण्डल
5	श्रीमती कश्मी कौर रॉन	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवासन मण्डल
6	श्री नत्थू राम	अति.मुख्य अभियंता, प्रथम
7	श्री मनोज गुप्ता	अति.मुख्य अभियंता, तृतीय
8	श्री अनिल माथुर	वरि. नगर नियोजक, राज. आवासन मण्डल
9	श्री प्रमोद कुमार वैष्णव	जन सम्पर्क अधिकारी

-:: कार्यवाही विवरण ::-

विचार बिन्दु संख्या	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
240.1	दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई मण्डल की 239वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई मण्डल की 239वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
240.2	दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई मण्डल की 239वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई मण्डल की 239वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary

240.3	प्रदेश के विभिन्न शहरों में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित आवासीय योजनाओं में निर्मित दुकानों/व्यावसायिक परिसम्पत्तियों की आरक्षित दर में छूट प्रदान करते हुये ई–ऑक्शन द्वारा निस्तारित किये जाने बाबत्।	विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार प्रदेश के विभिन्न शहरों में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित आवासीय योजनाओं में निर्मित दुकानों/व्यावसायिक परिसम्पत्तियों की आरक्षित दर में छूट प्रदान करते हुये ई–ऑक्शन/बुधवार नीलामी उत्सव/सीलबन्द नीलामी द्वारा निस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया। फिलहाल इन सम्पत्तियों को "बुधवार नीलामी उत्सव" के माध्यम से ही बेचा जावे तथा राज्य सरकार को इस संबंध मे सूचित कर दिया जावे कि अभी ई–ऑक्शन को पुनः प्रारम्भ करने से उपभोक्ता/क्रेता confuse हो सकता है। वैसे भी अभी "बुधवार नीलामी उत्सव" एवं उसके साथ स्वर्ण जयन्ती उपहार योजना लागू की जा रही है, उनका काफी प्रचार–प्रसार भी किया जा रहा है एवं उसके माध्यम से विक्रय की ज्यादा संभावना है।	CE(HQ)
240.4	राजस्थान आवासन मण्डल की महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, जयपुर की शेष रही 546 आवासीय ईकाईयों को आमजन को उपलब्ध कराने हेतु नकद भुगतान पद्वति पर खुली बिक्री योजना के द्वारा निस्तारण किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने, दस्तकारों के अनुरुप प्रति आवासीय ईकाई की लागत में भूमि की लागत सम्मिलित नहीं करने एवं संचालक मण्डल के निर्णय के अनुरुप प्रति आवासीय ईकाई की लागत रुपये 14.99 लाख स्थिर रखने के निर्णय हेतु प्रस्ताव अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, जयपुर की शेष रही 546 आवासीय ईकाईयों (दस्तकारों के लिये 50 और ईकाइयॉं आरक्षित रखने के बाद) को आमजन को उपलब्ध कराने हेतु नकद भुगतान पद्वति पर खुली बिक्री योजना के द्वारा निस्तारण किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने, दस्तकारों के अनुरुप प्रति आवासीय ईकाई की लागत में भूमि की लागत सम्मिलित नहीं करने एवं संचालक मण्डल के निर्णय के अनुरुप प्रति आवासीय ईकाई की लागत रुपये 14.99 लाख स्थिर रखने का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त योजना का आमजन में (Week end home के concept पर) व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।	CE-I

240.5	मण्डल की योजनाओं में आवंटित आवासीय, व्यावसायिक, सस्थानिक भूखण्ड/प्लिन्थ स्तर आवास/स्केल्टन आवासों को पूर्ण करने हेतु अनुज्ञेय दो वर्ष की समयावधि को बढाने के संबंध में नवीन दिशा–निर्देश जारी करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार मण्डल की योजनाओं में आवंटित आवासीय, व्यावसायिक, सस्थानिक भूखण्ड/प्लिन्थ स्तर आवास/ स्केल्टन आवासों को पूर्ण करने हेतु अनुज्ञेय दो वर्ष की समयावधि को बढाने के संबंध प्रस्तावानुसार नवीन दिशा–निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया।	CEM
240.6	राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई–ऑक्शन एवं बुधवार नीलामी उत्सव के पश्चात अधिशेष आवासों/फ्लेटस का सीलबन्द नीलामी द्वारा निस्तारण करने की स्वीकृति बाबत्	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई–ऑक्शन के स्थान पर बुधवार नीलामी उत्सव/सीलबन्द नीलामी के माध्यम से अधिशेष आवासों/फ्लेटस का निस्तारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही इस हेतु राज्य सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।	CEM
240.7	राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से मुख्यमंत्री सहायता कोष में उपलब्ध कराई गई 1.00 करोड रुपये की राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से मुख्यमंत्री सहायता कोष में उपलब्ध कराई गई 1.00 करोड रुपये की राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
240.8	"राजस्थान आवासन मण्डल स्वर्ण जयन्ती समारोह" के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम, उपहार योजना एवं सोसायटी के गठन प्रस्ताव के संबंध में।	प्रस्तावानुसार "राजस्थान आवासन मण्डल स्वर्ण जयन्ती समारोह" के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम, उपहार योजना एवं सोसायटी के गठन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर कर्मचारी यूनियन की मॉग के अनुसार प्रति कर्मचारी लगभग 1500/–रुपये मूल्य का एक गिफ्ट भी "स्वर्ण जयन्ती समारोह सोसायटी" के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया।	CEM
240.9	सचिव के वित्तीय अधिकार बढाने बाबत्। (रुपये 10,000/– से 01 लाख)	प्रस्तावानुसार सचिव के वित्तीय अधिकार बढाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अनुमति प्रदान की गई।	FA

240.10	मण्डल द्वारा खातेदारों से मण्डल की अनुमोदित आवासीय योजना हेतु अपने स्तर पर समझौते के आधार पर भूमि प्राप्त करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार मण्डल द्वारा खातेदारों से मण्डल की अनुमोदित आवासीय योजना (दस्तकार नगर) हेतु अपने स्तर पर समझौते के आधार पर भूमि प्राप्त करने का अनुमोदन किया गया। यह तथ्य भी जानकारी में लाया गया कि नये भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत जटिल प्रक्रिया होती है एवं नये अधिनियम के तहत अवाप्त भूमि का मूल्य अधिक होगा, अतः वर्तमान परिस्थितियों में अपने स्तर पर समझौते के आधार पर भूमि प्राप्त करना समीचीन है।	LAO
240.11	राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम–2010 में पदोन्नति हेतु निर्धारित कार्यानुभव में नियमानुसार 1/3 अवधि की छूट प्रदान करने के संबंध में। (परियोजना अभियन्ता, वरिष्ठ से आवासीय अभियन्ता के पद पर)	विचार–विमर्श उपरान्त राज्य सरकार के डी.ओ.पी. द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
240.12	मण्डल में 21–22 वर्ष से कार्यरत अस्थाई चतुर्थ श्रेणी (हैल्पर) को नियमित किये जाने बाबत्।	प्रस्तावानुसार मण्डल में 21–22 वर्ष से कार्यरत अस्थाई चतुर्थ श्रेणी (हैल्पर) को नियमित किये जाने का मण्डल स्तर पर निर्णय लिया गया। साथ ही प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजने का निर्णय लिया गया।	Secretary
240.13	मण्डल के हैल्पर से कनिष्ठ सहायक के पद पर एकबारगी (One time Relaxation) देते हुए पदोन्नति का लाभ दिये जाने बाबत्।	प्रस्तावानुसार मण्डल के हैल्पर से कनिष्ठ सहायक के पद पर एकबारगी (One time Relaxation) देते हुए पदोन्नति का लाभ दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई। यह भी स्पष्ट किया गया कि उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप जितने पद प्रचलित 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटे से अधिक होगे, उतने पद भविष्य में की जाने वाली सीधी भर्ती के पदों को भरते समय समायोजित किए जायेंगे।	Secretary

240.14	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, योजना, जयपुर के सेक्टर 26, जोन 266 में मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्यम वर्ग 'अ' के प्रस्तावित बहुमंजिले फ्लेटस की प्रति फ्लेट लागत को रुपये 15.70 लाख पर फ्रीज/स्थिर रखने तथा राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षकों को फ्लैट के मूल्य में 10.00 प्रतिशत की रियायत देने के प्रस्ताव के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, योजना, जयपुर के सेक्टर 26, जोन 266 में मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्यम वर्ग 'अ' के प्रस्तावित बहुमंजिले फ्लेटस की प्रति फ्लेट लागत को रुपये 15.70 लाख पर फ्रीज/स्थिर रखने तथा राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षकों को फ्लैट के मूल्य में 10.00 प्रतिशत की रियायत देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	CE-I
240.15	राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न योजनाओं में अवस्थित वाणिज्यिक भूमियों के वर्गीकरण एवं न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण के नवीन सूत्र निर्धारण बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न योजनाओं में अवस्थित वाणिज्यिक भूमियों के वर्गीकरण एवं न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण के नवीन सूत्र निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की गई। इस संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जाऐं तथा इसी अनुरूप नीलामी प्रक्रिया संबंधी मण्डल के आदेश क्रमॉक 650, दिनांक 28.01.2014 के बिन्दु संख्या 7 में संशोधन किया जाऐं।	FA
240.16	मण्डल के वाणिज्यिक एवं सस्थानिक भूमि पर लीज मनी 5 प्रतिशत के स्थान पर 2.5 प्रतिशत किये जाने बाबत्।	प्रस्तावानुसार मण्डल के वाणिज्यिक एवं संस्थानिक भूमि पर लीज मनी 5 प्रतिशत के स्थान पर 2.5 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही बाद में इस निर्णय से प्राप्त परिणामों की समीक्षा किये जाने का भी निर्णय लिया गया। वाणिज्यक/संस्थानिक बकाया लीज के पुराने प्रकरणों में भी 31 मार्च, 2020 तक 2.5 प्रतिशत की दर पर लीज मनी जमा कराई जा सकेगी तथा पूर्व में राज्य सरकार द्वारा ब्याज पैनल्टी पर दी गई छूट अनुसार ब्याज/पैनल्टी पर छूट भी रखी जावेगी। इस संबंध में राज्य सरकार को योजना बनाकर भेजी जावे एवं स्वीकृति प्राप्त की जावे।	FA
240.17	पदोन्नति हेतु निर्धारित कार्यानुभव में नियमानुसार 1/3 अवधि की छूट प्रदान कर तदर्थ पदोन्नति दिये जाने के संबंध में। (लेखाधिकारी से वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर)	विचार–विमर्श उपरान्त राज्य सरकार के डी.ओ.पी. द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप परीक्षण कर अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन हेतु पृथक से प्रकरण प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।	Secretary

240.18	मण्डल द्वारा भूमि अधिग्रहण के नकद मुहावजा राशि के बदले दिये जाने वाले 15/25 प्रतिशत विकसित भूखण्डों के संबंध में नियमों के सरलीकरण बाबत्।	विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव डैफर किया गया।	LAO
240.19	वी.टी. रोड पर कॉमर्शियल बैल्ट–बी में अरावली मार्ग के स्थान पर द्वारका दास उद्यान के समीप जयपुर चौपाटी विकसित करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार वी.टी. रोड पर कॉमर्शियल बैल्ट–बी में अरावली मार्ग के स्थान पर द्वारका दास उद्यान के समीप जयपुर चौपाटी विकसित करने का निर्णय लिया गया।	ACTP
अन्य विचार बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से			
240.20	राजस्थान आवासन मण्डल में प्रचलित नीलामी प्रक्रिया में संशोधन बाबत।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल में प्रचलित नीलामी प्रक्रिया में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।	FA
240.21	श्री एम.एल.दुबे, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल के चिकित्सा व्यय पुनर्भरण बाबत।	प्रस्तावानुसार श्री एम.एल.दुबे, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल के चिकित्सा व्यय पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई तथा भविष्य में इस प्रकरण को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं करने का निर्णय लिया गया।	FA

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(संचिता बिश्नोई)
सचिव